

कार्यालय सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखण्ड ऋषभदेव

क्रमांक - 147

दिनांक - 24/9/19

सेवामें,

श्रीमान् उप वन संरक्षक,
उदयपुर

विषय :- सडक का नाम : नाल (सोमावत) से झूगरा,
प्रस्ताव संख्या : FP/RJ/ROAD/20390/2016 दिनांक 07.07.2017

प्रसंग :- ईडीएस नंबर : F14(Road)2017/FCA/PCCF/CCFEDS-III Jaipur
dated 6.09.2019 के क्रम में।

महोदय जी,


उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर द्वारा उक्त प्रस्ताव में लगाये गये ईडीएस दिनांक 06.09.2019 की पूर्ति ऑनलाईन कर दी गई है।

उपरोक्त प्रस्ताव में यूजर एजेन्सी द्वारा बिन्दु संख्या 1 से 4 की पूर्ति कर दी गई है एवं बिन्दु संख्या 5 व 6 की पूर्ति आप श्रीमान् के कार्यालय द्वारा की जानी है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है प्रस्ताव में ईडीएस की पूर्ति कर दी गई है आवश्यक कार्यवाही कर उच्चाधिकारी को भेजने का श्रम करावे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय



(डी.एन. सिंह)

सहायक अभियन्ता
सा.नि.वि. उपखण्ड ऋषभदेव

कार्यालय सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखण्ड ऋषभदेव, उदयपुर
सेवामें,


श्रीमान् प्रधान मुख्य संरक्षक,
राजस्थान जयपुर

विषय:- ईडीएस नंबर : F14(Road)2017/FCA/PCCF/CCFEDS-III Jaipur
dated 6.09.2019 के क्रम में।

सडक का नाम :-नाल (सोमावत) से डूंगरा,
प्रस्ताव संख्या :- FP/RJ/ROAD/20390/2016 दिनांक 07.07.2017

आपके द्वारा ईडीएस में लगाये गये आक्षेप के नियमानुसार पूर्ति की जा रही है।

क्र.सं.	विवरण	प्रत्युत्तर
1	बिन्दु संख्या 1 की पालना अपूर्ण। प्रस्ताव में 1.63 है, वन भूमि का प्रत्यावर्तन प्रस्तावित है, किन्तु पार्ट सी में अपलोड की गई KML File का क्षेत्र 1.6299 है, जो पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।	संशोधित KML File संलग्न कर दी है।
2	बिन्दु संख्या 2 की पालना अपूर्ण। प्रस्ताव में संलग्न की गई ऐरिया केलकुलेशन शीट अनुसार प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल का योग 1.6299 है, है जबकि 1.63 है, अंकित किया गया है जिसे सही किया जाना प्रस्तावित है।	संशोधित ऐरिया केलकुलेशन शीट संलग्न कर दी है।
3	बिन्दु संख्या 3 की पालना अपूर्ण। यूजर एजेन्सी द्वारा क्रॉस सेक्शन 6 मी. संलग्न किया गया है जो सही नहीं है इसकी बेस की चौड़ाई से अधिक है संशोधित क्रॉस सेक्शन संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।	संशोधित क्रॉस सेक्शन संलग्न कर दिया है।
4	बिन्दु संख्या 4 की पालना नहीं। प्रस्ताव में राजस्व मेप पर अंकन कर राजस्व मानचित्र ऑनलाईन संलग्न नहीं किया गया है।	राजस्व मेप पर अंकन कर ऑनलाईन कर दिया है।
5	बिन्दु संख्या 5 की पालना नहीं। उप वन संरक्षक द्वारा पार्ट II में इको क्लास का संशोधन कर दिया गया है। किन्तु प्रस्ताव में कोई वृक्ष का आना अंकित नहीं है तो छत्र घनत्व 3 किस प्रकार हो सकता है संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।	उप वन संरक्षक, उदयपुर से सम्बन्धित।
6	बिन्दु संख्या 18 की पालना नहीं। प्रस्ताव में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना निर्धारित प्रपत्र में संलग्न कर दी गई है किन्तु वर्तमान श्रमिक दर के मॉडल (164100.00) के अनुरूप नहीं है।	उप वन संरक्षक, उदयपुर से सम्बन्धित।



(डी.एन. सिंह)

सहायक अभियन्ता

सा.नि.वि. उपखण्ड ऋषभदेव